

## फर्द अहकाम

### कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री उदयलाल  
किस्म मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.

विपक्षी :- श्री मांगीलाल  
पत्रावली संख्या : 11/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 14.05.2022</p> <p>पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैंप में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित रहे हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।</p> <p>प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है। विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा पूर्व में उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर सहमति व्यक्त की। विपक्षी सं. 3 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><b>—: आदेश :—</b></p> <p>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली की आराजी नम्बर 1530 रकबा 1.0700 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1534 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकन कराराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/- पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रवण सिंह राठौड) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

